

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

अपील संख्या -03/2017

तारीख रजू - 18.09.2017

उनवान

1. राजमोहन पुत्र स्व0 चरणसिंह
2. राजवीर पुत्र स्व0 चरणसिंह
3. गोविन्द पुत्र स्व0 चरणसिंह
4. राजेन्द्र पुत्र स्व0 चरणसिंह
5. रामरती पत्नी स्व0 चरणसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली

- अपीलान्त

विरुद

सरपंच ग्राम पंचायत तिघरिया पंचायत समिति टोडाभीम जिला करौली

- रेसपोडेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 12 दिनांक

07.04.1975 ग्राम कवरपुरा (कमरपुरा) तहसील टोडाभीम ग्राम

पंचायत तिघरिया के संबंध मे।

उपस्थिति


श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट - पक्ष अपीलान्त

एकतरफा - रेसपोडेन्ट

निर्णय

दिनांक :- 10.05.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 कैम्प सिघनिया मे यह पत्रावली दिनांक 10.05.2018 को प्रस्तुत हुई। अपीलान्त ने अपील मे कथन किया है कि खातेदार शिम्भु पुत्र मूस्या के विरासत का नामान्तकरण उसके पुत्र चन्दन, पुखराज पुत्र शिम्भु के नाम खोला गया है तथा ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण को तस्दीक किया है। नामान्तकरण खोलते समय चन्दनसिंह का नाम सहवन से गलत हो गया है जबकि सही नाम चरणसिंह होना चाहिये था, शिम्भुसिंह के पुत्र का नाम चरणसिंह ही था लेकिन पटवारी हल्का ने सहवन से


उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

चरणसिंह के स्थान पर चन्दनसिंह लिख दिया है तथा इस नाम पुरस्ती के संबंध में ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्त ग्राहीण आवमी है तथा पटवारी हत्का की भुल व विश्रसत के नामान्तरण के संबंध में जानकारी नहीं थी, जानकारी प्राप्त होने पर न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान 2017 में तहसीलदारजी टोडाभीम से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि नामान्तरण की अपील पेश करो तभी नाम तुरस्त हो सकता है। मौजूदा रिकार्ड जमाबंदी में शिम्भुसिंह के दो पुत्र चन्दनसिंह, पुखराज के नाम खातेदारी दर्ज है, पुखराज अविवाहित फौत हो गया है उसका खसरा भाई चरणसिंह ही उसका वारिस था, चरणसिंह की मृत्यु हो चुकी है, अपीलान्त उसके कायम मुकाम कानूनी वारिस है, अपीलान्त के हक में चरणसिंह के स्थान पर चन्दन नाम दर्ज होने के कारण विश्रसत के नामान्तरण की कार्यवाही रूकी हुयी थी इस प्रकार हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में खसरा नम्बरान 104 रकवा 0.69 हेक्टर, 109 रकवा 0.61 हेक्टर, 153 रकवा 0.40 हेक्टर, 158 रकवा 0.23 हेक्टर, 161 रकवा 0.15 हेक्टर, 185 रकवा 0.28 हेक्टर, 186 रकवा 0.16 हेक्टर, 187 रकवा 0.40 हेक्टर, 189 रकवा 1.02 हेक्टर, 193 रकवा 0.22 हेक्टर, 194 रकवा 0.14 हेक्टर, 195 रकवा 0.47 हेक्टर, 197 रकवा 0.32 हेक्टर, 200 रकवा 0.14 हेक्टर, 202 रकवा 0.24 हेक्टर, 203 रकवा 0.25 हेक्टर, 204 रकवा 0.04 हेक्टर, 205 रकवा 0.25 हेक्टर, 206 रकवा 0.60 हेक्टर, 207 रकवा 0.24 हेक्टर, 208 रकवा 0.24 हेक्टर, 210 रकवा 0.50 हेक्टर, 211 रकवा 0.33 हेक्टर, 214 रकवा 0.22 हेक्टर, 215 रकवा 0.30 हेक्टर कुल कित्ता 25 कुल रकवा 8.44 हेक्टर स्थित ग्राम कवरपुरा तहसील टोडाभीम में हिस्सा 1/4 के अपीलान्त खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी में दर्ज नाम चन्दन, पुखराज पुत्र शिम्भु के स्थान पर अपीलान्त अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है। अपीलान्त के पिता चरणसिंह के आधार कार्ड में भी चरणसिंह नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत तिघरिया ने वारिसनामा दिनांक 10.04.2017 प्रमाण पत्र दिया है उसमें चरणसिंह, पुखराज के अपीलान्त वारिस है, मृत्यु प्रमाण पत्र चरणसिंह, पुखराज तथा नाम शुद्धि का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दिनांक 22.8.2017 अपील के साथ प्रस्तुत है तथा रिलिफ चाही है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 12 दिनांक 7.4.1975 ग्राम कवरपुरा (कवरपुरा) तहसील टोडाभीम बावत खसरा नम्बरान 104 रकवा 0.69 हेक्टर, 109 रकवा 0.61 हेक्टर, 153 रकवा 0.40 हेक्टर, 158 रकवा 0.23 हेक्टर, 161 रकवा 0.15 हेक्टर, 185 रकवा 0.28 हेक्टर, 186 रकवा 0.16 हेक्टर, 187 रकवा 0.40 हेक्टर, 189 रकवा 1.02 हेक्टर, 193 रकवा 0.22 हेक्टर, 194

रकवा 0.14 हेक्टर, 195 रकवा 0.47 हेक्टर, 197 रकवा 0.32 हेक्टर, 200
रकवा 0.14 हेक्टर, 202 रकवा 0.24 हेक्टर, 203 रकवा 0.26 हेक्टर, 204
रकवा 0.04 हेक्टर, 205 रकवा 0.25 हेक्टर, 206 रकवा 0.60 हेक्टर, 207
रकवा 0.24 हेक्टर, 208 रकवा 0.24 हेक्टर, 210 रकवा 0.60 हेक्टर, 211
रकवा 0.33 हेक्टर, 214 रकवा 0.22 हेक्टर, 215 रकवा 0.30 हेक्टर कुल कित्ता
25 कुल रकवा 8.44 हेक्टर स्थित ग्राम कमरपुरा तहसील टोडाभीम में निर्गत नाम
चन्दन के स्थान पर चरणसिंह दर्ज किया जावे तथा अपील स्वीकार की जाकर
खातेदारी में दर्ज नाम चन्दन, पुखराज पुत्र शिम्भू के स्थान पर विरासत में
अपीलान्त के हक में नामान्तरण तस्दीक करने का आदेश नायब तहसीलदार
उपतहसील बालघाट को प्रदान किया जावे।

अपीलान्त की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किये
गये। अपीलान्त ने अपने अपील के साथ नकल नामान्तरण संख्या 12 दिनांक 07.
04.1975 ग्राम कमरपुरा तहसील टोडाभीम की प्रस्तुत की तथा नकल मिलान
क्षेत्रफल, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत तिघरिया, मृत्यु प्रमाण पत्र, चरणसिंह,
पुखराज ग्राम पंचायत तिघरिया सरपंच का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड चरणसिंह तथा
नकल जमाबंदी संवत् 2030 से 2033, हाल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073, नकल
मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043 से 2062 प्रस्तुत की।


दौराने बहस वकील अपीलान्त ने कथन किया कि शिम्भू पुत्र मूस्या की
विरासत का नामान्तरण उसके पुत्र चन्दन, पुखराज के नाम खोला गया है।
नामान्तरण खोलते समय सहवन से चन्दन का नाम दर्ज हो गया है जबकि सही
नाम चरणसिंह है। उक्त दस्तावेजात अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उसमें
चरणसिंह का नाम ही दर्ज है इसलिये अपील स्वीकार की जावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया यह मामला नाम
दुरस्ती के संबंध में है। राजस्व कैम्प सिघनिया मजमे आम में जानकारी की गई तो
उन्होंने बताया कि अपीलान्त के पिता का सही नाम चरणसिंह ही है तथा चरणसिंह
का खास भाई पुखराज लाऔलाद फौत हो गया है। शपथपत्र भी अपीलान्त व
गवाह के प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें सही नाम चरणसिंह होना कथन किया है।
अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 12
दिनांक 07.04.1975 ग्राम कमरपुरा तहसील टोडाभीम बावत खसरा नम्बरान 104
रकवा 0.69 हेक्टर, 109 रकवा 0.61 हेक्टर, 153 रकवा 0.40 हेक्टर, 158
रकवा 0.23 हेक्टर, 161 रकवा 0.15 हेक्टर, 185 रकवा 0.28 हेक्टर, 186

जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)

रकवा 0.16 हेक्टर, 187 रकवा 0.40 हेक्टर, 189 रकवा 1.02 हेक्टर, 193
 रकवा 0.22 हेक्टर, 194 रकवा 0.14 हेक्टर, 195 रकवा 0.47 हेक्टर, 197
 रकवा 0.32 हेक्टर, 200 रकवा 0.14 हेक्टर, 202 रकवा 0.24 हेक्टर, 203
 रकवा 0.25 हेक्टर, 204 रकवा 0.04 हेक्टर, 205 रकवा 0.25 हेक्टर, 206
 रकवा 0.60 हेक्टर, 207 रकवा 0.24 हेक्टर, 208 रकवा 0.24 हेक्टर, 210
 रकवा 0.50 हेक्टर, 211 रकवा 0.33 हेक्टर, 214 रकवा 0.22 हेक्टर, 215
 रकवा 0.30 हेक्टर कुल कित्ता 25 कुल रकवा 8.44 हेक्टर स्थित ग्राम कवरपुरा
 तहसील टोडाभीम मे वर्णित नाम चन्दन पुत्र शिम्भू के स्थान पर सही नाम
 चरणसिंह पुत्र शिम्भूसिंह दर्ज किया जावे तथा चरणसिंह व पुखराज के वारिसानो
 के नाम विरासत के नामान्तरण संबंधी कार्यवाही ^{नियमानुसार} पृथक से की जावें तथा इस
 निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार उपतहसील बालघाट को पालना हेतु भेजी जावे।
 निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके
 द्वार वर्ष 2018 कैम्प सिधनिया मे सुनाया गया।



(जगदीश आर्य)

उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करोली) डाभीम